

राजस्थान सरकार

Ady  
30/8/18

लगायालय तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर, जिला बीकानेर

संख्या नं. श्री लोन करन सर 218 काट भाक 271

किस्म मुकदमा - आरसीए 1054 की धारा 22

एन.आर. एक्ट 1950 की धारा 91

मुकदमा नं. 2/18 वर्ष 2018 फसल 2018

आदेश दिनांक	कार्यवाही विवरण	आदेश की जाली नं.
26/7/18	<p>पटवारी हल्का <u>उ. बीकानेर</u></p> <p>की रिपोर्ट पर पत्रावली मुस्तीव की गई। मुताबिक रिपोर्ट अप्रार्थी ने</p> <p>ग्राम/चक <u>42710</u> के</p> <p>खसरा नं./मुजं. <u>253</u></p>	
	<p>तादादी <u>0.50 रु</u> बीघा <u>21.9.3.00</u></p>	
	<p>राजकीय भूमि पर सम्बत <u>2075</u> में</p>	
	<p>नाजायज कब्जा कर काश्त कर ली। अप्रार्थी को धारा 22/91 के तहत नोटिस</p>	
	<p>जारी किया जावे एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को फसल कुर्क करने हेतु लिखा</p>	
	<p>जावे। पत्रावली आईन्दा दिनांक <u>7/8/18</u> को पेश हो।</p>	
	<p style="text-align: right;">तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर</p>	
7/8/18	<p>पत्रावली पेश हुई। खसरा नं. 253 के तहत मुकदमा</p>	
	<p>संबन्धी मुकदमा के तहत पत्रावली पेश की गई। रिपोर्ट</p>	
	<p>कवर रिपोर्ट ली गई। पत्रावली पेश हुई। दिनांक</p>	
	<p>30/8/18 को पेश हो।</p>	
	<p>पत्रावली पेश हुई। खसरा नं. 253 के तहत मुकदमा</p>	
	<p>की रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट</p>	
	<p>की रिपोर्ट ली गई। पत्रावली पेश हुई। दिनांक</p>	

व सीजलर के लेजर  
129 रु रु 02 प  
भाग काभय की  
उज्जी

TRA

07/8/18

P.T.O.

30/8

ਮਿਥਣ ਦੀ ਥਾਂ! ਤੁਹਾ ਯਕੀਨੀ ਨਿਰਧ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਲਿਆ.  
ਜਾਏ ਲਾਇਲ ਮਿਥਣ ਕੇ ਪਾਸਾ।

# न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर

मोहरम संख्या ४२/२०१६

दिनांक ३०/६/२०१६

## निर्णय

पंचनामची पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हत्का जुमरान ने रिपोर्ट (पी ५५) प्रस्तुत कर विवेचन किया है कि लगत २०१६ फसल खरीफ में गैर सायल ३३२५५ पुत्र जुमरान जाति अर साकिन करनाजी के पास करनाजी के खेत में २५३ रकबा ६-३० हेक्टर पर जोरख भायतन मोहर भायतन राजकीय भूमि में कृषत/बाख/कच्चा/पक्का मकान विभागे कर वाप्यावज अतिक्रमण किया है।

संबंधित गैर सायल का राशूरअभि १९९६ की धारा ७१ के तहत प्रकरण दर्ज कर मोहरि जाती किया गया जो बाद तागिब शगिब मिराब किया गया। संबंधित गैरसायल अनुसंधारित होने के कारण तहत प्रकरण में इकराफा कार्यवाही करते हुए संबंधित गैर सायल ३३२५५ पुत्र श्री जुमरान जाति अर साकिन करनाजी भाग करनाजी खेत में २५३ रकबा ६-३० हेक्टर के अधिकार करने पर राशूर अतिक्रमण १९९६ की धारा ७१ के प्राधान के तहत अतिक्रमण मोहरि किया जाया है तथा धीके से कालत कालत को महर करने व अतिक्रमण भूमि से वेदप्राय करणे के आदेश दिये जाते है। गैरसायली व कालत कालत को महर करणे तथा भुरावरण का आ हुण २३७ करणे शक्ति से मोहरि किया जाया है। इस बाबत संबंधित विवरण हत्का के निर्यात जाये तथा तलपय अनुसंधारी बाबत परवाही हत्का को तथा प्राय कालत की बाबत लीकार हत्का को निर्यात जाये।

निर्णय आज दिनांक ३०/६/२०१६ को सुप्री अदालत में लिखाया जायत सुनवाया गया।

(राजकीय तहसीलदार/राशूर)  
लूनकरनसर